राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 218/2025

प्रियांशी पारीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (पूर्व), जल संसाधन एवं अतिरिक्त सचिव सीएडी, राजस्थान जयपुर।
4. अधिशाषी अभियंता, मुख्य अभियंता (पूर्व), जल संसाधन एवं अतिरिक्त सचिव सीएडी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.01.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में निजी सहायक ग्रेड–ा के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव, सीएडी, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा दो वर्ष के परीविक्षाकाल पर कार्यालय मुख्य अभियंता पूर्व एवं अतिरिक्त सचिव सीएडी, जयपुर में शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने दिनांक 01.09.2024 (अनुलग्नक–5) को परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण कर ली। अपीलार्थी द्वारा अपनी सेवा में आने की दिनांक को बी.ए. पार्ट द्वितीय वर्ष की परीक्षा में नियमित छात्रा के रूप में दी जा चुकी थी। बी.ए. पार्ट द्वितीय वर्ष की उत्तीर्ण अंतालिका (अनुलग्नक–6) पर संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा कार्यग्रहण के पश्चात् अपनी बी.ए. अंतिम वर्ष की शिक्षा नियमित छात्रा के रूप में नहीं की क्योंकि नियमित विद्यार्थियों को प्रतिदिन कॉलेज में अध्ययन हेतु जाना होता है। अपीलार्थी ने बी.ए. अंतिम वर्ष की शिक्षा स्वयंपाठी अभ्यर्थी (प्राईवेट) के रूप में अपना फार्म भरकर अध्ययन कर

बी.ए. अंतिम वर्ष की परीक्षा वर्ष 2023 में उत्तीर्ण की, जिसका परिणाम दिनांक 03.06.2023 को जारी किया गया (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी ने बी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 01.05.2024 (अनुलग्नक–1) को प्रार्थना पत्र मुख्य अभियंता (पूर्व) सिंचित क्षेत्र विकास, जयपुर को प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा स्नातक की योग्यता का अंकन सेवा अभिलेख में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई विधिवत आदेश पारित नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग की ई–फाईल सिस्टम की नोटशीट में दिनांक 10.07.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष लिया कि '' किसी भी परीक्षा में भाग लेने से पूर्व कार्यालय को सूचित कर अनुमति लेना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में बिना अनुमति प्राप्त की गई डिग्री को सेवा में नहीं जोड़ा जा सकता है। अतः प्रकरण को समाप्त कर KOR दिया जावे।'' अर्थात प्रकरण में बंद कर दिया जाय। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की योग्यता को दर्ज करने के लिए मना कर दिया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र, बगरू एवं जिला रसद अधिकारी–II, जयपुर के आदेश दिनांक 09.01.2023 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी को उसके परीवीक्षाकाल अवधि में कार्यरत होने के दौरान मतदाता सूची तैयार करने हेतु निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बगरू (056) एवं जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर के कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके कारण अपीलार्थी को नियमों की जानकारी नहीं हो पायी जिसके वह अपने मूल कार्यालय से अन्यत्र पदस्थापित रही इस कारण अपीलार्थी उच्च अध्ययन के संबंध में अपनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। अपीलार्थी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्वयंपाठी विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए भी कार्यालय से अनुमति की आवश्यकता है। इसके संबंध में शक्तियां विभागाध्यक्ष के पास है, जो नियमानुसार आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। राजस्थान सिविल सेवा अपील नियम–1971 के नियम–17 में यह प्रावधान है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने व उपस्थिति होना प्रतिबंध शीर्षक में नियम बनाये गये है एवं उसके परंतुक 01से 05 में उल्लेखित किये गये है, जिसमें यह माना गया है कि सरकारी कर्मचारी सेवा में है तो संबंधित विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना किसी शिक्षण संस्थान में किसी मान्यता प्राप्त कोर्स हेतु उन विद्यालयों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण है, उसकी तैयारी के उद्देश्य से प्रवेश नहीं लेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न ही ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होगा परन्तु कोई सरकारी कर्मचारी कोई प्रथम खण्ड परीक्षा उत्तीर्ण है, उसकी तैयारी प्राधिकारी द्वारा उसके कार्यालय समय के पश्चात किसी शिक्षण संस्थान में ऐसे प्रथम खण्ड परीक्षा के बाद की द्वितीय खण्ड की अंतिम परीक्षा की तैयारी व प्रवेश लेने व उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी। वर्तमान प्रकरण में

अपीलार्थी ने न तो किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया है और न ही प्रवेश के पश्चात् अध्ययन किया है। नियमों में इसके विपरीत यह प्रावधान है कि यदि नियमित रूप से शैक्षणिक संस्था में यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रवेश लेकर अध्ययन करना चाहता है तो कार्यालय समय बाद करना चाहता है, तो उसे अध्ययन में सम्मिलित होने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा बी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण की गयी है। अपीलार्थी ने किसी भी शिक्षण संस्थान में नियमित अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं लिया है, न ही अध्ययन किया है। अपीलार्थी को इस आधार पर उसकी योग्यता को शामिल करने से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उसने बिना अनुमति के परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह अपनी योग्यता सेवाभिलेख में दर्ज करवाने की अधिकारी है, केवल मात्र इस आधार पर उसकी योग्यता सेवाभिलेख में दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं की है। नियमानुसार बिना अनुमति प्राप्त किये गये अध्ययन की डिग्री को उसकी योग्यता में शामिल किया जा सकता है। अपीलार्थी ने शैक्षणिक योग्यता जोड़ने हेतु माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3124/2024 प्रस्तुत की। उक्त अपील को अपीलार्थी ने दिनांक 29.11.2024 (अनुलग्नक–9) के द्वारा वापस ली तथा माननीय अधिकरण द्वारा उसे नयी अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। अतः अपीलार्थी ने पुनः अपनी शैक्षणिक योग्यता सेवाभिलेख में जोड़ने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.07.2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता को दर्ज किया जावे एवं उसके परिणामस्वरूप यदि कोई लाभ अपीलार्थी के बनते है तो नियमानुसार दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को निजी सहायक ग्रेड–II के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव, सीएडी, जयपुर में नियुक्त किया गया था तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र, बगरू एवं जिला रसद अधिकारी–II, जयपुर के आदेश दिनांक 09.01.2023 (अनुलग्नक–8) के द्वारा अपीलार्थी को उसके परीवीक्षाकाल अवधि में कार्यरत होने के दौरान मतदाता सूची तैयार करने हेतु निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बगरू (056) एवं जिला रसद अधिकारी द्वितीय जयपुर के कार्यालय में उपस्थिति दी जाकर कार्य सम्पादित किया गया अर्थात मूल

कार्यालय से अन्यत्र पदस्थापित रही इस कारण वह नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण बी.ए. पार्ट तृतीय की परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी अपीलार्थी ने किसी भी शिक्षण संस्थान में नियमित अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं लिया एवं न ही अध्ययन किया है। अपीलार्थी की शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति दिनांक 01.09.2022 के पूर्व की बी.ए. पार्ट द्वितीय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी तथा स्वयंपाठी छात्रा के रूप में बी.ए. पार्ट तृतीय की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम–1971 के नियम–17 के परन्तुक ii के द्वारा कोई सरकारी कर्मचारी कोई प्रथम खण्ड परीक्षा उत्तीर्ण है, उसकी तैयारी प्राधिकारी द्वारा उसके कार्यालय समय के पश्चात किसी शिक्षण संस्थान में ऐसे प्रथम खण्ड परीक्षा के बाद की द्वितीय खण्ड की अंतिम परीक्षा की तैयारी व प्रवेश लेने व उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने न तो किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया है और न ही प्रवेश के पश्चात् अध्ययन किया है। नियमों में इसके विपरीत यह प्रावधान है कि यदि नियमित रूप से शैक्षणिक संस्था में यदि कोई सरकारी कर्मचारी प्रवेश लेकर अध्ययन करना चाहता है तो कार्यालय समय बाद करना चाहता है, तो उसे अध्ययन में सम्मिलित होने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा बी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण की गयी है। अपीलार्थी ने किसी भी शिक्षण संस्थान में नियमित अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं लिया है, न ही अध्ययन किया है, केवल मात्र इस आधार पर उसकी योग्यता सेवाभिलेख में दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता है कि उसने बिना अनुमति के परीक्षा उत्तीर्ण की, अपीलार्थी अपनी योग्यता सेवाभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी है, अपीलार्थी ने इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं की है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी बी.ए.पार्ट तृतीय उत्तीर्ण योग्यता का अंकन अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में किया जावे। उपरोक्त कार्यवाही एक माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य